रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2016/आश्विन 25, 1938
No. 723] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2016/ASVINA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2016

(आय-कर)

सा.का.नि. 982(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115थक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अट्ठाईसवां संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में भाग 8ख के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘भाग 8खक

क्रय द्वारा शेयरों को वापस लेने के लिए देशी कंपनी की वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

40खख. शेयरों के निर्गम के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त रकम—(1) धारा 115थक की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी द्वारा उसके द्वारा जारी शेयरों के संबंध में प्राप्त रकम, जो उक्त धारा में निर्दिष्ट क्रय द्वारा वापस लेने की विषय-वस्तु है, का अवधारण इस नियम के अनुसार किया जाएगा ।

(2) जहां शेयर का कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिश्रुति के माध्यम से निर्गम किया गया है, ऐसे शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा वास्तव में प्राप्त रकम, जिसके अंतर्गत प्रीमियम के माध्यम से प्राप्त वास्तविक रकम है, वह रकम होगी, जो कंपनी द्वारा ऐसे शेयर के निर्गम के लिए प्राप्त की गई है।

(3) जहां कंपनी ने किसी भी समय शेयर को क्रय द्वारा वापस लेने से पूर्व ऐसे शेयर के संबंध में प्राप्त रकम से किसी राशि को लौटा दिया है तो इस प्रकार वापस की गई राशि से रकम को घटा दिया जाएगा, घटी हुई रकम कंपनी द्वारा उक्त शेयर के निर्गम के लिए प्राप्त रकम होगी :

परंतु इस प्रकार वापस राशि या उसका कोई भाग धारा 115ण के अधीन अतिरिक्त आय-कर से प्रभार्य था और कंपनी ने अतिरिक्त आय-कर का संदाय किया है तो, यथास्थिति, ऐसी राशि या उसके भाग को कम नहीं किया जाएगा।

(4) जहां कंपनी द्वारा शेयर का किसी योजना या स्कीम के अधीन निर्गम किया गया है, जिसके अधीन स्टॉक के या स्वीट साम्या शेयर के भाग के रूप में विकल्प के रूप में विकल्प का सृजन किया गया है, नियम 3 के उपनियम (8) के अनुसार शेयर का यथा संगणित उचित बाजार मूल्य को जहां तक उसका शेयर पूंजी में और प्रीमियम लेखे में कंपनी द्वारा प्रत्यय किया गया है, को उक्त शेयर के निर्गम के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम माना जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "स्वीट साम्या शेयर" का वहीं अर्थ होगा, जो उसका धारा 17 के खंड 2 के उपखंड (vi) के स्पष्टीकरण में है।

(5) जहां शेयरों का निर्गम किसी कंपनी द्वारा, जो समामेलित कंपनी है, समामेलन की स्कीम के अधीन किसी समामेलित कंपनी के शेयर या शेयरों के बदले किया गया है, तब समामेलक कंपनी द्वारा ऐसे शेयर या शेयरों के संबंध में प्राप्त रकम का अवधारण इस नियम के अधीन किया जाएगा, रकम वह रकम होगी, जो समामेलित कंपनी द्वारा उसके द्वारा जारी शेयरों के संबंध में प्राप्त हुई है।

(6) किसी निर्विलयन की स्कीम के अधीन किसी परिणामी कंपनी द्वारा उस रूप में निर्गम शेयरों के संबंध में प्राप्त रकम, वह रकम होगी जो वह रकम है जो निर्विलीन कंपनी द्वारा मूल शेयरों के संबंध में प्राप्त की गई है, जिसका अवधारण इस नियम के अनुसार उसी अनुपात में किया गया है जो निर्विलयन में अंतरित आस्ति के बही मूल्य का ऐसे निर्विलयन से पूर्व निर्विलीन कंपनी के शुद्ध मूल्य का है।

(7) किसी निर्विलीन कंपनी द्वारा निर्विलीन कंपनी में मूल शेयरों के संबंध में प्राप्त मूल रकम को उपनियम (6) के अधीन इस प्रकार आई रकम से घटाया हुआ माना जाएगा।

(8) जहां शेयरों का आबंटन या निर्गम किसी आस्ति के अर्जन या किसी दायित्व के निपटान के प्रतिफल के रूप में किया गया है तब ऐसे शेयर के निर्गम के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा।

प्राप्त रकम = क/ख

जहां

क = निम्न रकमों से निम्नतर कोई रकम—

(क) वाणिज्य बैंकर द्वारा यथा अवधारित आस्ति या दायित्व का उसी अनुपात में उचित बाजार मूल्य, जो प्रतिफल के भाग के रूप में, शेयरों के निर्गम द्वारा कुल प्रतिफल का है ;

(ख) आस्ति के अर्जन के लिए प्रतिफल की रकम या शेयरों के रूप में संदत्त दायित्व का निपटान, उस सीमा तक जहां तक उनका प्रत्यय कंपनी की शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम खाते में किया जाता है ;

ख = प्रतिफल के भाग के रूप में कंपनी द्वारा निर्गम किए गए शेयरों की संख्या :

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्य बैंकर" का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 3 के उपनियम (8) के खंड (iv) के उपखंड (ख) में है।

(9) जहां शेयरों का निर्गम या आबंटन किसी कंपनी द्वारा, यथास्थिति, किसी फर्म के किसी कंपनी में संपरिवर्तन या कंपनी द्वारा सांपातिक समुत्थान के उत्तराधिकार द्वारा होता है, तब कंपनी द्वारा शेयरों के निर्गम के लिए प्राप्त रकम का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा—

$$\text{प्राप्त रकम} = \frac{\text{क-ख}}{\text{ग}}$$

क = तुलन पत्र में आस्तियों का बही मूल्य, जिसे स्रोत पर कटौती का संग्रह किए गए संदत्त कर की रकम से कम किया गया है या आय-कर अधिनियम के अधीन दावा किए गए कर की रकम से कम की गई रकम के रूप में अग्रिम का संदाय और कोई रकम जिसे तुलन-पत्र में आस्ति के रूप में उपदर्शित किया गया है, जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय की अवधारणा न की गई रकम है, जो किसी आस्ति के मूल्य को नहीं दर्शाती है।

स्पष्टीकरण – आस्तियों के बही मूल्य का अवधारण करने के लिए आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उनमें किसी परिवर्तन को गणना में नहीं लिया जाएगा।

ख = तुलन पत्र में उपदर्शित दायित्वों का बही मूल्य, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित रकम शामिल नहीं है, अर्थात् :-

(क) फर्म के, यथास्थिति, सांपातिक या भागीदारों की पूंजी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(ख) आरक्षितियां और आधिक्य चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखे में शेष है ;

(ग) संदत्त कर की रकम जिसे कटौती या संग्रह किए गए संदत्त कर की रकम से कम किया गया है या आय कर अधिनियम के अधीन दावा किए गए कर की रकम से कम की गई रकम के रूप में अग्रिम कर संदाय और कोई रकम जिसे तुलन पत्र आस्ति के रूप में उपदर्शित किया गया है जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय की अपाकरण न की गई रकम है जो किसी आस्ति के मूल्य को नहीं दर्शाती है से भिन्न, कोई रकम जो कराधान के लिए उपबंध करता है;

(घ) स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर संदाय के रूप में संदत्त कर की रकम, जिसे आय-कर अधिनियम के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा किए गए कर की रकम से उसको लागू विधि के अनुसार बही खाता लाभ को निर्दिष्ट करते हुए संदेय कर से आधिक्य परिमाण तक घटा दिया गया हो, यदि कोई है, से भिन्न कर के लिए उपबंध को उपदर्शित करने वाली कोई रकम ;

(ङ) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को चुकाने के लिए किए गए उपबंध को दर्शित करने वाली कोई रकम ; और

(च) आकस्मिक दायित्वों को दर्शित करने वाली कोई रकम,

ग = संपरिवर्तन या उत्तराधिकार पर निर्गम किए गए शेयरों की संख्या।

(10) जहां शेयरों का निर्गम या आबंटन बिना किसी प्रतिफल के कंपनी की विद्यमान शेयर धृति के आधार पर किया गया है ऐसे शेयरों के संबंध में प्रतिफल को “शून्य” समझा जाएगा।

(11) जहां शेयरों का निर्गम अधिमानी शेयरों के या बांड या डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक या किसी रूप में निक्षेप प्रमाणपत्र या वारंट या कंपनी द्वारा जारी किसी अन्य प्रतिभूति के संपरिवर्तन पर किया गया है, इस प्रकार संपरिवर्तित किसी विलेख के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त रकम।

(12) जहां क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों को डीमैट रूप में धृत किया जाता है और उनकी सुभिन्न रूप से पहचान नहीं की जा सकती है, ऐसे शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त रकम का अवधारण इस नियम के अनुसार पहले आओ पहले पाओ विधि के आधार पर किया जाएगा ।

(13) किसी अन्य मामले में शेयर के अंकित मूल्य को शेयर के निर्गम के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम माना जाएगा ।'।

[अधिसूचना सं. 94/2016[फा.सं.370133/30/2016-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3179(अ) तारीख 7 अक्तूबर, 2016 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2016

INCOME-TAX

G.S.R. 982(E).—In exercise of the powers conferred by section 115QA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (28th Amendment), Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the 1st June, 2016.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after PART-VII B, the following part shall be inserted, namely: -

'PART VII-BA

Special Provisions Relating to Tax on Distributed income of Domestic Company for Buy-Back of Shares

40BB. Amount received by the company in respect of issue of share. (1) For the purposes of clause (ii) of the *Explanation* to sub-section (1) of section 115QA, the amount received by a company in respect of the share issued by it, being the subject matter of buy-back referred to in the said section, shall be determined in accordance with this rule.

(2) Where the share has been issued by a company to any person by way of subscription, amount actually received by the company in respect of such share including any amount actually received by way of premium shall be the amount received by the company for issue of such share.

(3) Where the company had at any time, prior to the buy-back of the share, returned any sum out of the amount received in respect of such share the amount as reduced by the sum so returned shall be the amount received by the company for issue of said share:

Provided that if the sum or any part of it so returned was chargeable to additional income- tax under section 115-O and the company has paid such additional income tax then such sum or part thereof, as the case may be, shall not be reduced.

(4) Where the share has been issued by a company under any plan or scheme under which an employees' stock option has been granted or as part of sweat equity shares, the fair market value of the share as computed in accordance with sub-rule (8) of rule 3, to the extent credited to the share capital and share premium account by the company shall be deemed to be the amount received by the company for issue of said share:

Explanation.- For the purposes of this sub-rule the expression "sweat equity shares" shall have the meaning assigned to it in clause (b) of the *Explanation* to sub-clause (vi) of clause (2) of section 17.

(5) Where the share has been issued by a company being an amalgamated company, under a scheme of amalgamation, *in lieu* of the share or shares of an amalgamating company, then, the amount received by the amalgamating company in respect of such share or shares determined in accordance with this rule, shall be deemed to be the amount received by the amalgamated company in respect of the share so issued by it.

(6) The amount received by a company, being a resulting company in respect of shares issued by it under a scheme of demerger, shall be the amount which bears the amount received by the demerged company in respect of the original shares determined in accordance with this rule in the same proportion as the net book value of the assets transferred in a demerger bears to the net worth of the demerged company immediately before such demerger.

(7) The amount received by the demerged company in respect of the original shares in the demerged company shall be deemed to have been reduced by the amount as so arrived under sub-rule (6).

(8) Where the share has been issued or allotted by the company as part of consideration for acquisition of any asset or settlement of any liability then the amount received by the company for issue of such share shall be determined in accordance with the following formula-

Amount received = A/B

Where,

A= an amount being lower of the following amounts-

(a) the amount which bears to the fair market value of the asset or the liability, as determined by a merchant banker, the same proportion as the part of consideration being paid by issue of shares bears the total consideration;

(b) the amount of consideration for acquisition of the asset or settlement of the liability to be paid in the form of shares, to the extent credited to the share capital and share premium account by the company;

B= the number of shares issued by the company as part of consideration:

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the term "merchant banker" shall have the meaning assigned to in sub-clause(b) of clause (iv) of sub-rule (8) of rule 3.

(9) Where the shares have been issued or allotted by a company on succession or conversion, as the case may be, of a firm into the company or succession of sole proprietary concern by the company, then the amount received by the company for issue of shares shall be determined in accordance with the following formula-

$$\text{Amount received} = \frac{A-B}{C}$$

A= book value of the assets in the balance-sheet as reduced by any amount of tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund under the Income-tax Act and any amount shown in the balance-sheet as asset including the unamortized amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

Explanation.-For determining book value of the assets, any change in the value of the assets consequent to their revaluation shall be ignored.

B= book value of liabilities shown in the balance-sheet, but does not include the following amounts, namely:-

(a) capital, by whatever name called, of the proprietor or partners of the firm, as the case may be;

(b) reserves and surpluses, by whatever name called, including balance in profit and loss account;

(c) any amount representing provision for taxation, other than amount of tax paid, as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund

under the Income-tax Act, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;

(d) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities; and

(e) any amount representing contingent liabilities,

C= number of shares issued on conversion or succession.

(10) Where the share has been issued or allotted, without any consideration, on the basis of existing shareholding in the company, the consideration in respect of such share shall be deemed to be "Nil".

(11) Where the shares have been issued on conversion of preference shares or bond or debenture, debenture-stock or deposit certificate in any form or warrants or any other security issued by the company, the amount received by the company in respect of such instrument as so converted.

(12) Where the share being bought back is held in dematerialised form and the same cannot be distinctly identified, the amount received by the company in respect of such share shall be the amount received for the issue of share determined in accordance with this rule on the basis of the first-in-first-out method.

(13) In any other case, the face value of the share shall be deemed to be the amount received by the company for issue of the share.'.

[Notification No. 94 /2016 [F. No. 370133/30/2016-TPL]

NIRAJ KUMAR, Under Secy. (Tax Policy & Legislation)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, part III, section 3, sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and were last amended vide notification number S.O. 3179(E) dated the 7th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.18 11:57:05 +05'30'